

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार	0.69 करोड़
	2018 (अनुमान)	0.73 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.9%)	8.10%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2016) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 34) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3)	25 72
7.	मानव विकास सूचकांक (2007-08) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 0.467)	0.652
8.	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 (₹ करोड़ में)	1,35,914
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2008-09 से 2017-18)	14.09 (एस.सी.एस.: 12.5)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2008-09 से 2016-17		2012-13 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**	सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**	सभी विशेष श्रेणी राज्य*	हिमाचल प्रदेश**
क	राजस्व प्राप्तियां	13.7	14.10	12.4	13.91	10.4	4.20
ख	कर राजस्व	16.0	17.34	11.9	11.06	20.0 ^{##}	0.98
ग	कर-भिन्न राजस्व	8.3	-0.75	10.6	5.67	8.0	37.68
घ	कुल व्यय	13.7	16.12	12.9	14.65	10.6	-2.56
ड.	पूँजीगत व्यय	7.8	11.99	11.4	15.66	19.6	7.34
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.6	16.24	12.5	9.50	15.8	15.25
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	18.0	16.64	16.2	12.06	20.5	16.12
ज	वेतन एवं मजदूरी	14.7	13.25	9.5	7.48	20.6	11.20
झ	पेंशन	18.8	20.12	12.7	10.62	28.1	14.46

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का अर्थशास्त्र और संख्यिकी विभाग और केन्द्रीय संख्यिकी कार्यालय

* विशेष श्रेणी के राज्य ** हिमाचल प्रदेश ## अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे बाहरी राज्यों को छोड़कर।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2017-18 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियां
खण्ड- II	
भाग I: विस्तृत विवरणियां	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी
भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय

<i>III</i>	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
<i>IV</i>	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
<i>V</i>	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
<i>VI</i>	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
<i>VII</i>	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
<i>VIII</i>	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
<i>IX</i>	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
<i>X</i>	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
<i>XI</i>	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
<i>XII</i>	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2013-18 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	94,764	103,772	113,355	124,235	135,914
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.42	9.51	9.23	9.60	9.40

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घाटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

**भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)**

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.92 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.3 तथा 1.11.3; पृष्ठ 9 एवं 45)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367
(i) कर राजस्व	5,121 (33)	5,940(33)	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)
राज्यों का वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	1,833(26)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,141 (61)	3,661(62)	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)
राज्य आबकारी	952 (19)	1,044(18)	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)
वाहनों पर कर	208 (4)	220(4)	317 (05)	280 (4)	367(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	188 (4)	190(3)	206 (03)	209 (3)	229(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	191 (4)	333(5)	551(8)	372(5)	361(5)
भू-राजस्व	10 (-)	17(-)	7(-)	8(-)	17(-)
माल व यात्रियों पर कर	105 (2)	110(2)	115 (02)	121(2)	112(2)
अन्य कर	326 (6)	365(6)	376(5)	359(4)	352(5)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,785 (11)	2,081(12)	1,837 (08)	1,717 (6)	2,364(9)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में रान्यांश	2,491 (16)	2,644(15)	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	6,314 (40)	7,178(40)	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	650	-	-	35
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	17	41	26	30	40
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	15,728	18,534	23,466	26,294	27,442
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4,050	10,877	6,129	8,603	5,600
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,362(83)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831 [#] (79)	5,118(91)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	629(16)	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	59(1)	125(1)	50 (01)	101 (01)	82(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	19,778	29,411	29,595	34,897	33,042
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	10,300	10,575	11,515	13,630	14,680
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	30,078	39,986	41,110	48,527	47,722
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053
योजनागत	2,387 (14)	3,204(16)	3,493(16)	4,520(18)	3,772(14)
आयोजनेतर	14,965 (86)	16,583(84)	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	7,047 (41)	7,604(38)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)
सामाजिक सेवाएं	6,706 (39)	7,451(38)	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)
आर्थिक सेवाएं	3,590 (20)	4,723(24)	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)
सहायता अनुदान व अंशदान	9 (-)	9(-)	10 (-)	10 (-)	10(-)
11. पूंजीगत व्यय	1,856	2,473	2,864	3,499	3,756
योजनागत	1,815 (98)	2,431(98)	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)
आयोजनेतर	41 (2)	42(2)	296(10)	384(11)	340(9)
सामान्य सेवाएं	81 (4)	83(3)	88(3)	208 (6)	192(5)
सामाजिक सेवाएं	478 (26)	522(21)	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)
आर्थिक सेवाएं	1,297 (70)	1,868(76)	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	531	474	463	3,290 [#]	503
13. योग (10+11+12)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	1,704	8,260	3,948	3,943	3,500
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,467	1,410	1,557	2,198	3,021
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	172	6,783	2,320	1,671	400
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	65	67	71	74	79
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	21,443	30,994	29,578	36,076	34,812
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	9,227	8,844	10,577	12,351	13,043
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30,670	39,838	40,155	48,427	47,855
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920	314
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411 [#]	(-) 82
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,481	2,849	3,155	3,359	3,788
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,438	2,156	2,612	3,357	2,895
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	11	125	31	23	2
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	10	77	25	23	2
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	01	48	06	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.11	14.80	6.40	16.17	-
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	94,764 (14.42)	103,772 (9.51)	113,355 (9.23)	124,235 (9.60)	135,914 (9.40)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]	51,030
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,333	4,281	3,714	4,550	4,394
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,316	9,316	9,658	12,320	8,848
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	13	12	12	11
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	130	141	143	188	176
भाग ड : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.09	0.09	0.13	0.14	0.13
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.21	0.22	0.23	0.26	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.26	1.27	1.09	1.22	1.14
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.88	0.87	0.87	0.79	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.36	0.35	0.34	0.33	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.29	0.29	0.26	0.26
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.37	0.36	0.38	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.16	2.14	1.76	1.80	1.86
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	103.42	170.99	111.94	289.63	255.58
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-)3,544	(-) 4,719	1,858	1,153	(-)119
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.68	0.67	0.72	0.77	0.80
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.41	0.46	*	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	19,739	22,734	25,630	32,133	31,312
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.14	15.17	12.74	25.37	(-) 2.56
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.28	14.03	12.72	13.63	6.74
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	14,965	16,583	18,810	20,824	23,281
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.17	10.81	13.43	10.70	11.80
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	2,387	3,204	3,493	4,520	3,772
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.81	34.23	9.02	29.40	(-)16.55
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.79	15.98	16.59	16.76	17.13
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	87.91	87.04	87.02	78.87	86.40
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.81	72.94	73.39	64.81	74.35
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	12.09	14.09	13.63	14.07	12.05
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	95.25	92.94	80.25	79.29	85.07
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	86.24	83.81	84.34	82.17	86.06
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	13.76	16.19	15.66	17.83	13.94
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.51	1.48	1.38	1.42	0.72
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	10.11	1.03	0.41	1.13	1.61
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.18	1.30	0.95	1.27	0.57
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.49	0.41	1.41	0.46	(-) 0.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

भाग-क: वर्ष 2017-18 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण					
		2016-17		2017-18		2016-17		2017-18		
						गैर-योजनागत		योजनागत	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		26,264.34		27367.06	I-राजस्व व्यय	25,344.22	23280.94	3772.22	27053.16	27053.16
(i) कर राजस्व	7,039.05		7107.67		सामान्य सेवाएं	9,727.95	10882.54	127	11009.54	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,717.24		2363.85		सामाजिक सेवाएं	9,609.92	8142.55	2194	10336.55	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	4,343.70		4801.31		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,945.19	4620.36	1078.75	5699.11	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	8,877.19				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,501.32	1206.86	536.11	1742.97	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	1,187.48				जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,777.25	1304.76	34.21	1338.97	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	3,099.68				सूचना एवं प्रसारण	44.42	47.13	0.32	47.45	
(v) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों			3,590.26		अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	62.77	12.79	43.36	56.15	
(vi) वित्त आयोग के अनुदान			8,889		श्रम एवं श्रम कल्याण	123.19	140.35	15.54	155.89	
(vii) अन्य स्तारण/विधायिका के साथ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान			615.39		समाजिक कल्याण एवं पोषण	1,134.33	794.17	477.87	1272.04	
					अन्य	21.45	16.13	7.84	23.97	
					आर्थिक सेवाएं	5,996.32	4245.55	1451.22	5696.77	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,678.18	1055.74	743.81	1799.55	
					ग्रामीण विकास	1,178.79	630.1	291.69	921.79	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	461.83	444.84	5.65	450.49	
					ऊर्जा	822.29	372.4	0.2	372.6	
					उद्योग एवं खनिज	121.52	57.11	48.7	105.81	
					परिवहन	1,546.41	1636.74	177.67	1814.41	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9.52	3.07	9.16	12.23	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.78	45.55	174.34	219.89	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	10.03	10.3	-	10.3	
योग		26,264.34		27367.06	योग	25,344.22	23280.94	3772.22	27053.16	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	920.12			313.9	
योग:		26,264.34		27367.06	योग:	26,264.34			27367.06	

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2016-17		2017-18			2016-17	2017-18				
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रवर्ग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रियों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		216.23		316.35	III-भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		--		34.82	IV-पूँजीगत परिव्यय	3,499.03	339.93	3,415.74	3755.67	3,755.67
					सामान्य सेवाएं	208.37	23.48	168.30	191.78	
					सामाजिक सेवाएं	1,041.06	96.72	1,038.24	1,134.96	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	295.72	31.60	309.96	341.56	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	285.53	2.42	260.44	262.86	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	433.73	61.55	454.88	516.43	
					सूचना एवं प्रसारण	0.77	-	0.16	0.16	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8.64	-	5.29	5.29	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	15.93	1.15	6.76	7.91	
					अन्य	0.75	-	0.75	0.75	
					आर्थिक सेवाएं	2,249.60	219.73	2,209.20	2,428.93	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	50.45	9.59	50.24	59.83	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.49	-	2.26	2.26	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	201.36	5.06	246.40	251.46	
					ऊर्जा	202.78	-	187.11	187.11	
					उद्योग एवं खनिज	56.33	6.00	66.83	72.83	
					परिवहन	1,583.61	199.08	1,495.39	1,694.47	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	151.58	-	160.97	160.97	
					योग	3,499.03	339.93	3,415.74	3,755.67	
V- ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियाँ		29.50		39.61	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,289.69				502.53
विद्युत परियोजनाओं से	-		-		विद्युत परियोजनाएँ	3,228.81			417.59	
सरकारी कर्मचारियों से	8.79		8.58		सरकारी कर्मचारियों को	7.03			3.17	
सहकारिता से	16.52		28.98		सहकारिता को	39.79			56.33	
अन्य से	4.19		2.05		अन्य को	14.06			25.44	
VI-अग्रोनित राजस्व अधिशेष		920.12		313.9	VI- अग्रोनित राजस्व घाटा					

प्राप्तियाँ					संवितरण						
2016-17		2017-18			2016-17		2017-18				
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ		8,603.31		5600.29	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,942.84					3499.85
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	6,831.29		5118.26		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2,198.19			3020.82		
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,670.72		400.14		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,670.72			400.14		
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	101.30		81.89		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	73.93			78.89		
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-			-		
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		-		-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय	-			-		
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ		13,629.90		14,679.52	X-लोक लेखा संवितरण	12351.15					13,043.21
लघु बचतों एवं भविष्य निधियाँ	3,402.37		3768.05		लघु बचतों एवं भविष्य निधियाँ	2,197.86			2376.07		
आरक्षित निधियाँ	249		420.27		आरक्षित निधियाँ	2,48.76			314.83		
निकषेप एवं अग्रिम	2,727.39		2873.88		निकषेप एवं अग्रिम	2,546.02			2685.26		
उच्चत एवं विविध	799.83		763.06		उच्चत एवं विविध	871.97			881.82		
प्रेषण	6,451.31		6854.26		प्रेषण	6,486.54			6785.23		
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	316.35					183.23
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	-			-		
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19		
					रिज़र्व बैंक के पास निकषेप	(-) 443.27			(-) 540.68		
					रोकड़ शेष निवेश	759.43			723.72		
योग:		23,399.06		20984.49	योग:	23,399.06					20984.49

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 3 एवं 32)

भाग-ख: 31 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	30,607.89		34,363.57
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,293.53		3,532.97
अन्य पूंजीगत परिव्यय	27,314.36		30,830.60
ऋण तथा अग्रिम-	6,044.26		6,507.18
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	5,763.55	6,181.14	
अन्य विकास ऋण	240.72	291.46	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	39.99	34.58	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	316.35		183.23
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 443.27	(-) 540.68	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	759.43	723.72	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	10,800.37		10,451.65
योग	47,768.87		51,505.63

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, तथा न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2018 तक	
आंतरिक ऋण	31,494.03		33,591.47
ब्याज वाले बाजार ऋण	19,023.07	21,574.06	
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	74.95	51.38	
नाबार्ड से ऋण	2,101.10	2,251.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	95.99	75.03	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,150.02	6,635.31	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	2,890.50	2,890.50	
अन्य संस्थाओं से ऋण	158.40	114.09	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,076.43		1,079.43
आयोजनेत्तर ऋण	4.23	3.69	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,072.07	1,075.61	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	11,844.41		13,236.38
निक्षेप एवं अग्रिम	2,609.04		2,797.67
आरक्षित निधियां	219.57		325.02
उच्चत एवं विविध शेष	192.17		73.41
प्रेषण शेष	328.22		397.25
योग	47,768.87		51,505.63

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.1; पृष्ठ 9)

2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य के बजट के बाहर निधि) (बिना आंकड़ों के)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2017-18	2016-17
1	2	3	4
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	32.50	35.00
	योग	32.50	35.00
सहायक एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	--	3.92
	योग	--	3.92
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास	विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय	--	2.83
	योग	--	2.83
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीयों को पुरस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिन्चेन जांगपो सोसाइटी	0.92	1.45
	डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी	0.29	0.13
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.40	0.75
	रामधा बौद्ध सोसाइटी	0.27	0.12
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	0.63	0.32
	योग	2.51	2.77
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	साई इंजीनियरिंग फाउण्डेशन	1.00	--
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	5.90
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	--	0.25
	युको बैंक	2.14	--
	पंजाब नेशनल बैंक	1.50	--
	योग	4.64	6.15
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	3.53	1.96
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.04	0.01
	डॉ वाई.एस.परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्व विद्यालय	0.07	--
	योग	3.64	1.97
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	8.93	--
	योग	8.93	--
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	17.12	--
	योग	17.12	--
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	--	27.21
	जैवप्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान, शूलीनी विश्वविद्यालय	--	0.03
	वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय	--	0.03
	हिमाचल प्रदेश कृषि मंत्रालय	--	0.36
	हिमाचल सलाहकार संगठन	--	--
	नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	--	--
	योग	27.63	27.63

1	2	3	4
निर्यात विकास हेतु राज्यों को सहायता	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	7.83
	योग	--	7.83
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	19.62	21.10
	योग	19.62	21.10
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	0.71	19.28
	राजकीय पोलिटेक्निक, सुन्दरनगर	0.09	0.21
	योग	0.80	19.49
पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	8.86
	योग	--	8.86
खाद्य संस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय	--	9.34
	हिमालयन कपास यार्न निगम	0.92	--
	नए उत्पाद हेतु प्रेरणा	0.96	--
	पुलकित ताजा और स्वास्थ्य	5.00	--
	पावंटा साहिब खाद्य निगम	4.39	--
	योग	11.27	9.34
राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम)	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	--	5.70
	योग	--	5.70
एस.टी.डी. नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समाज	10.11	9.74
	योग	10.11	9.74
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण हेतु समग्र क्षेत्रीय केन्द्र	6.94	5.10
	योग	6.94	5.10
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई हिमाचल प्रदेश	--	0.20
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाइटी	436.20	104.12
	योग	436.20	104.32
सीमा प्रबंधन हेतु योजना	अधिशोषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भावानगर	--	30.00
	योग	--	30.00
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	40.37	--
	योग	40.37	--
शहरी, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संप्रयोग हेतु अक्षय ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	13.39	--
	योग	13.39	--
स्वदेश दर्शन	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	--	19.95
	योग	--	19.95
अन्य योजनाएं	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	--	92.18
	योग	--	92.18
अन्य	--	266.16	43.30
	योग	266.16	43.30
सकल योग		901.83	457.18

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

क्षेत्र-वार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	पूँजी	दीर्घ कालीन ऋण	फ्री रिजर्व	निवेश
विद्युत					
1	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300	933.4	0	1233.4
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	1,855.56	2,523.33	0	4,378.89
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	274.76	718.05	0	992.81
4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	670.55	4,827.18	0	5,497.73
विनिर्माण					
5	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	2.97	20.89	31.02
6	हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड	0.92	0	0	0.92
वित्त					
7	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13	20.13	0	33.13
8	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	10.74	0	0	10.74
9	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	11.34	0	0	11.34
10	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	99.57	132.46	0	232.03
सेवा					
11	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	0	33.09	36.6
12	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.95	5.38	10.05
13	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	0	0	9.25
14	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.3	0	0	12.3
15	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0	0.12	0.127
16	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	720.49	202.27	0	922.76
17	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1	0	0	1
18	हिमाचल सलाह संगठन सीमित				
अवसंरचना					
19	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	25	0	0	25
20	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0	42.85	73.67
21	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित	34	0	0	34
कृषि एवं संबद्ध					
22	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	18.85	0	0	18.85
23	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	38.77	51.66	0	90.43
24	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	0	0	11.71
25	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	17.72	60.15	0	77.87
योग		4,170.747	9,472.55	102.33	13,745.627

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण जिनके लेखे बकाया है

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियां						
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	11	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	0.8 0.67 0.75 -	- - - -	- - - -
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	7.19	2015-16 2016-17 2017-18	0.75 0.75 0.8	- - -	- 0.61 -
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	9.39	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	1.3 0.66 0.75 -	- - - -	0.11 0.12 0.13 0.15
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	1585.16	2016-17 2017-18	191.25 137.13	- -	- -
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2016-17	258.75	2017-18	27.7	262.68	-
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2015-16	603.3	2016-17 2017-18	50 17.27	-	0.7
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित	2016-17	9.25	2017-18	-	-	3.08
8	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	0.01	2017-18	-	-	7.4
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.3	2016-17 2017-18	- -	- -	0.6 1.72
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	11.71	2015-16 2016-17 2017-18	- - -	- - -	- - -
11	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2014-15	18.85	2015-16 2016-17 2017-18	- - -	12.92	- - -
12	हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम सीमित	2016-17	3.51	2017-18	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2016-17	30.82	2017-18	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2016-17	7.16	2017-18	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	2016-17	38.76	2017-18	-	8	-
16	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम	2016-17	25.00	2017-18	-	-	100
17	हिमाचल प्रदेश राज्य यांत्रिकी विकास निगम सीमित	2016-17	3.72	2017-18	-	-	-
18	धर्मशाला स्मार्ट सिटी सीमित		0.0003	2017-18	-	-	-
19	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित		0.01	2017-18	-	-	-

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
20	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित		0.15	2017-18	-	-	-
21	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित		300.00	2017-18	-	-	-
	योग क: (कार्यशील सरकारी कम्पनियां)		2936.04		430.58	283.6	14.62
ख	कार्यशील सांविधिक निगम				-	-	-
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	670.49	2016-17	-	-	-
				2017-18	50		305
	योग ख: (कार्यशील सांविधिक निगम)		670.49		50	-	305
	सकल योग: (क + ख)		3606.53		480.58	283.6	319.62

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.1; पृष्ठ 28)

घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लेखे बकाया थे, को प्रदत्त बजटीय सहायता/निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की लम्बित अवधि	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश, जिनके लेखे बकाया है			उल्लेखित अंतिम लेखों के अनुसार हानि
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	
क	कार्यशील सरकारी कम्पनियां							
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	1585.16	2016-17	191.25	-	-	0.44
				2017-18	137.13	-	-	
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित	2016-17	258.75	2017-18	27.70	262.68		11.30
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित	2015-16	603.3	2016-17	50.00	-	0.7	44.21
				2017-18	17.27			
4	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	11.71	2015-16				10.27
				2016-17				
				2017-18				
5	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण सीमित	2016-17	38.76	2017-18		8.00		3.06
ख	कार्यशील सांविधिक निगम							
6	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	670.49	2016-17		-		118.57
				2017-18	50.00		305.00	

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 29)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)	कार्य शुरू करने की तिथि	पूर्णता की नियत अवधि	स्थिति
परियोजनाएं-प्रदान की गईं, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन					
परिवहन विभाग					
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50	--	26-09-2007	क्रियाशील
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15		29-08-2011	क्रियाशील पूर्णता की तिथि तथा अन्य मामले माननीय उच्च न्यायलय में न्यायाधीन हैं।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग					
3.	रज्जू मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15		जनवरी 2011	क्रियाशील
4.	जाखू रज्जू मार्ग	12		अप्रैल 2017	क्रियाशील
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन					
5.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100		--	कार्य प्रगति पर
6.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5		--	कार्य प्रगति पर
7.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5		--	कार्य प्रगति पर
8.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5		--	कार्य प्रगति पर
परियोजनाएं- प्रदान की गईं तथा कार्यान्वयनाधीन		अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)			
परिवहन विभाग					
9.	मकलोडगंज बस अड्डा	5	23-12-2004	31-08-2006	अक्रियाशील मामला सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय में न्यायाधीन है। पूर्णता रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।
10.	चिंतपुरी बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	32	29-11-2016	30-11-2019	परियोजना निर्माणाधीन है।
11.	कुल्लू बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	22	16-08-2017	31-08-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
12.	ऊना बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	30	19-07-2017	31-07-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
13.	धर्मशाला बस अड्डा एवं पार्किंग-कम- वाणिज्यिक परिसर	25	25-08-2017	31-08-2020	परियोजना चरणवार निर्माणाधीन है।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग					
14.	धर्मशाला मकलोडगंज रज्जू मार्ग	150	22-07-2015	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा

					समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
15.	हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग	250	05-06-2015	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
16.	पल्चान रोहतांग रज्जू मार्ग	245	21-10-2015	31-10-2019	--
17.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रज्जू मार्ग	65	23-02-2017	-	समनुदानग्राही ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए विभाग ने पूर्ववर्तिता शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ा दिया था जैसा कि रियायत प्राधिकारी तथा समनुदानग्राही के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा किए गए रियायत अनुबन्ध के खण्ड 4.6 में निर्दिष्ट है, को पूर्ववर्तिता की शर्तों को पूरा करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जा सकता है।
शहरी विकास विभाग					
18.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15	15-12-2012	14-12-2013	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
19.	पार्किंग परिसर, संजौली	25	08-10-2012	07-10-2013	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
20.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45	25-10-2013	24-01-2015	मामला आरबीटरेटर (सचिव कानून) के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।
21.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10	26-02-2016	29-08-2017	परियोजना स्थल पर बहुत ही कम प्रगति के कारण "समाप्ति सूचना" समनुदानग्राही को जारी किया गया है।
22.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10	19-12-2015	18-06-2017	अंशतः पूर्ण
23.	पार्किंग परिसर, रोहडू	5	20-12-2017	मार्च 2021	कार्य प्रगति पर

24.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जू मार्ग	200	--	--	परियोजना का कार्य नगर निगम शिमला के पास है। तथापि, कार्य को अभी शुरू किया जाना है।
राजस्व विभाग					
25.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75	--	--	--

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें व्यय आधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत						
1.	05	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	722.52	967.30	244.78	34
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	2,994.82	3,131.78	136.96	5
पूँजीगत-प्रभारित						
3.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	18.14	23.16	5.02	27
योग			3,735.48	4,122.24	386.76	

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 52)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21, तथा 23 29	752.51	लोक लेखा समिति सदन में प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर चुका है, किन्तु विधेयक के पारित न होने के कारण नियमितकरण अभी भी लंबित है।
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19,21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2,7 तथा 9	474.86	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23(राजस्व) तथा 23 (पूंजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत) तथा 31	1,585.69	
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5,8,10,13,19,23 तथा 28 13,16, 29 (राजस्व), 29 (पूंजीगत)	2,848.43	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2,13, (राजस्व) एवं 3, 10 तथा 23 (पूंजीगत) 1,16 (राजस्व) एवं 29 (पूंजीगत)	3,037.61	
योग			9,402.18	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 52)

नियमन के लिए अपेक्षित 2017-18 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत				
1.	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	722,51,54,000	967,30,16,752	244,78,62,752
2.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	2994,82,13,000	3131,77,98,973	136,95,85,973
पूंजीगत-प्रभारित				
3.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	18,14,26,586	23,16,19,072	5,01,92,486
योग		3735,47,93,586	4122,24,34,797	386,76,41,211 अर्थात् ₹ 386.76 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.2; पृष्ठ 53)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	संख्या तथा अनुदान का नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान से बचाना	पूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	5391,89,95	5006,45,77	385,44,18	279,57,66
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1601,65,30	1552,28,76	49,36,54	162,29,78
3.	12-बागवानी	303,13,49	246,42,76	56,70,73	46,26,73
4.	16-वन एवं वन्य जीव	452,32,05	385,77,54	66,54,51	18,81,96
5.	18-उद्योग, खनीज, वितरण एवं सूचना तकनीक ग्रामीण विकास	100,32,31	91,32,01	9,00,30	2,44,40
6.	20-ग्रामीण विकास	1293,33,77	922,28,69	371,05,08	31,88,14
7.	21-सहकारिता	29,62,81	28,03,19	1,59,62	1,94,45
8.	23-विद्युत विकास	499,14,93	370,68,76	128,46,17	2,72,33
9.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	396,23,85	206,26,45	189,97,40	9,29,18
10.	28-शहरी विकास, शहर तथा देश योजना एवं आवास	341,26,77	237,15,15	104,11,62	15,10,54
11.	29-वित्त	5033,64,43	4800,39,03	233,25,40	33,62,92
12.	31-जनजातिय विकास	1145,98,41	945,15,08	200,83,33	41,50,69
13.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	1264,17,05	892,16,66	372,00,39	33,82,33
पूंजीगत-दत्तमत्त					
14.	13-सिंचाई, जलपूर्ति एवं स्वच्छता	489,66,16	478,84,42	10,81,74	77,94,52
15.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	9,75,00	6,49,07	3,25,93	1,00,00
16.	23-विद्युत विकास	410,10,01	387,88,88	22,21,13	229,85,28
17.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	70,87,01	67,17,00	3,70,01	2,65,00
18.	31-जनजातिय विकास	293,79,40	274,47,90	19,31,50	38,89,03
19.	32-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	896,45,20	812,27,53	84,17,67	48,69,57
योग		20023,37,90	17711,54,65	2311,83,25	1078,34,51

स्रोत: वित्त लेखे/वी.एल.सी.।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.2; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	05	भू -राजस्व एवं जिला प्रशासन	616.49	106.03	722.52	967.30	244.78
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2,839.12	155.70	2,994.82	3,131.78	136.96
योग			3,455.61	261.73	3,717.34	4,099.08	381.74

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 53)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-04	9.91	(-) 10.03
2.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	45.90	3.29
3.			3054-03-103-11	(-) 24.29	(-) 38.23
4.			3054-04-105-06	(-) 94.72	(-) 64.14
5.			3054-04-105-07	(-) 94.80	1.24
6.			5054-04-337-06	(-) 0.05	1.07
7.			28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	4217-03-051-05
8.	29	वित्त	2071-01-104-02	(-) 246.66	(-) 1.13
9.			2071-01-105-02	(-) 14.34	2.04
10.			2071-01-101-03	52.21	351.65
11.			2049-03-108-01	(-) 2.27	(-) 1.54
12.			2049-01-116-01	3.60	2.61
13.			2049-01-101-बी 2 (ii)	53.33	(-) 46.60
14.			2049-01-101-बी 3	18.85	(-) 18.85
15.			2049-01-101-बी 4	18.17	(-) 18.17
16.			2049-01-101-बी 5	29.20	(-) 29.20
17.			31	जनजातीय विकास	3054-04-796-02
18.	4401-00-796-01	1.41			(-) 1.47
19.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-03-789-04	(-) 28.81	12.45
20.			4702-00-789-01	1.95	(-) 1.13

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 54)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	2017-18 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2018	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08- शिक्षा	2202-80-107-08	12.25	12.25	17.46	70.16	70.16
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-16	14.67	14.67	14.67	100	100
3.		4210-03-105-05	15.26	14.77	15.79	96.64	93.54
4.		4210-03-105-06	33.93	33.93	33.93	100	100
5.		4210-03-105-07	42.58	42.28	43.24	98.47	97.78
6.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-06	56.10	46.88	76.35	73.47	61.40
7.		2216-05-053-01	16.24	14.25	20.10	80.80	70.90
8.		3054-03-103-11	123.12	97.36	180.62	68.17	53.90
9.		3054-04-105-08	45.00	45.00	45.00	100	100
10.		4216-01-106-01	37.94	33.18	45.00	84.31	73.73
11.		5054-03-101-01	23.86	21.86	37.31	63.95	58.59
12.		5054-03-337-06	99.55	99.55	100.00	99.55	99.55
13.		5054-04-337-10	31.47	26.94	50.25	62.63	53.61
14.	5054-04-337-11	36.65	29.57	50.03	73.26	59.10	
15.	12- उद्यान	2401-00-119-56	15.93	14.20	25.30	62.96	56.13
16.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	182.71	155.59	274.97	66.45	56.58
17.		2700-01-101-01	10.23	10.05	11.27	90.77	89.17
18.		2702-80-001-06	104.53	86.60	168.03	62.21	51.54
19.		4215-01-102-23	75.89	73.60	106.32	71.38	69.22
20.		4215-01-800-01	14.18	13.04	19.99	70.94	65.23
21.		4702-00-101-03	19.58	15.57	28.64	68.37	54.36
22.		4702-00-101-04	13.16	11.87	16.92	77.78	70.15
23.		4705-00-313-01	30.74	27.77	31.63	97.19	87.80
24.	4711-01-801-13	27.90	27.90	32.86	84.90	84.90	
25.	20-ग्रामीण विकास	2515-00-102-10	13.26	13.26	13.26	100	100
26.	25-सड़क एवं जल परिवहन तथा प्रशिक्षण	5055-00-50-01	14.48	14.48	14.48	100	100
27.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-105-03	13.15	11.68	20.32	64.71	57.48

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	29-वित्त	2049-01-101-06	20.45	20.45	30.79	66.42	66.42
29.		2049-01-101-18	26.76	26.76	26.76	100	100
30.		2049-01-101-27	41.25	41.25	61.88	66.66	66.66
31.		2049-01-101-31	12.21	12.21	24.42	50	50
32.		2049-01-101-32	50.19	50.19	50.19	100	100
33.		2049-01-101-33	22.17	22.17	22.17	100	100
34.		2049-01-101-36	24.39	24.39	24.39	100	100
35.		2049-01-101-67	28.50	28.50	42.75	66.67	66.67
36.		2049-01-101-72	13.50	13.50	13.50	100	100
37.		2049-01-101-83	12.04	12.04	24.09	49.98	49.98
38.		2049-01-101-84	21.92	21.92	32.88	66.67	66.67
39.		2049-01-101-ए 9	26.22	26.22	26.22	100	100
40.		2049-01-101-बी 1	55.37	55.37	55.37	100	100
41.		2049-01-200-05	10.93	10.93	10.93	100	100
42.		2049-03-104-01	919.57	919.57	936.51	98.19	98.19
43.		2054-00-095-04	32.12	29.09	37.85	84.86	76.86
44.		2071-02-105-01	36.68	35.68	43.51	84.30	82.00
45.		31-जनजातीय विकास	2215-01-796-09	16.02	15.99	20.78	77.09
46.	3054-04-796-05		26.15	25.27	33.38	78.34	75.70
47.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
48.		4210-03-789-05	11.10	11.10	11.10	100	100
49.		4215-01-789-04	25.32	21.56	35.26	71.81	61.15
50.		4801-01-789-03	11.02	11.02	11.02	100	100
51.		5054-04-789-04	100.06	100.06	100.06	100	100
योग			2,679.95	2,554.99	3,181.20		

स्रोत: विनियोजन लेखे/बी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 तथा 2.3.4; पृष्ठ 52 एवं 54)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	01	विधान सभा	35.06	1.37	
2.	03	न्याय प्रशासन	167.36	10.14	
3.	04	सामान्य प्रशासन	192.51	13.13	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	76.42	7.65	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,203.32	81.89	
6.	08	शिक्षा	5,671.48	665.02	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,763.95	211.66	
8.	11	कृषि	381.24	11.30	
9.	12	बागवानी	349.40	102.97	29
10.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,438.58	30.33	
11.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मात्स्यिकी	346.17	43.67	
12.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	95.20	16.81	
13.	16	वन एवं वन्य जीव	471.14	85.36	
14.	17	चुनाव	63.39	1.37	
15.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	102.77	11.45	
16.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	830.47	55.55	30
17.	20	ग्रामीण विकास	1,325.22	402.93	30
18.	21	सहकारिता	31.57	3.54	
19.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	294.85	54.72	
20.	23	विद्युत विकास	501.87	131.18	26
21.	24	मुद्रण एवं लेखन ससामग्री	31.52	2.81	
22.	25	सड़क एवं जल परिवहन	319.70	2.10	
23.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	405.53	199.27	49
24.	28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	356.37	119.22	33
25.	29	वित्त	5,067.27	266.88	
26.	30	विविध सामान्य सेवाएं	98.85	7.38	
27.	31	जनजातीय विकास	1,187.49	242.34	20
28.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	1,297.99	405.83	31
राजस्व-प्रभारित					
29.	03	न्याय प्रशासन	41.82	1.73	
30.	29	वित्त	3,817.42	29.20	
पूँजीगत-दत्तमत्त					
31.	01	विधान सभा	2.95	1.28	43
32.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	192.90	4.77	
33.	10	लोक निर्माण सड़क पुल एवं भवन	1,197.54	42.27	
34.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	567.61	88.76	
35.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	311.29	12.84	
36.	16	वन एवं वन्य जीव	9.59	2.31	24
37.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10.75	4.26	40
38.	23	विद्युत विकास	639.95	252.06	39
39.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	73.52	6.35	
40.	28	शहरी विकास, शहरी एवं नियोजक आवास	28.56	5.34	
41.	29	वित्त	12.78	7.98	62
42.	31	जनजातीय विकास	332.68	58.21	
43.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	945.15	132.87	
योग			33,291.20	3,838.10	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 56)

क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01	7610-00-201-04	150.00	122.85	82
2.	07	2055-00-001-02	471.83	343.59	73
3.	07	2055-00-115-01	545.48	368.82	68
4.	08	2059-01-053-72	345.00	300.00	87
5.	08	2202-01-102-03	63.00	61.96	98
6.	08	2202-01-111-01	2,632.00	2,409.76	92
7.	08	2202-01-109-06	12,142.00	9,937.64	82
8.	08	2202-01-109-06	1,359.00	1,104.07	81
9.	08	2202-01-109-10	6,811.00	4,994.16	73
10.	08	2202-01-109-10	757.00	555.13	73
11.	08	2202-01-109-14	104.00	67.16	65
12.	08	2202-01-109-16	1,844.00	1,209.00	66
13.	08	2202-01-109-16	205.00	134.44	66
14.	08	2202-01-109-21	300.00	250.00	83
15.	08	2202-80-107-15	100.00	100.00	100
16.	08	2225-03-277-06	137.00	134.87	98
17.	09	2210-05-105-08	99.00	97.86	99
18.	09	2210-06-101-21	1,560.00	1,560.00	100
19.	09	2210-06-101-23	1,185.00	1,185.00	100
20.	09	2210-06-101-23	132.00	132.00	100
21.	09	2211-00-003-01	261.66	149.74	57
22.	09	2211-00-800-07	273.00	273.00	100
23.	09	4210-03-105-02	200.00	200.00	100
24.	11	2401-00-800-13	158.00	109.00	69
25.	11	2401-00-800-18	300.00	274.27	91
26.	12	2401-00-119-50	711.00	497.56	70
27.	12	2401-00-119-50	79.00	55.40	70
28.	12	2401-00-119-53	1,480.00	926.33	63
29.	12	2401-00-119-57	6,581.00	6,581.00	100
30.	13	2701-16-001-01	306.48	168.44	55
31.	13	4702-00-101-07	2,612.00	1,318.47	55
32.	13	4702-00-800-14	225.00	225.00	100
33.	13	4705-00-313-01	3,832.00	3,741.72	98
34.	13	4711-01-800-12	292.50	292.50	100
35.	13	4711-01-800-13	178.58	178.58	100
36.	13	4711-01-800-15	877.50	877.50	100
37.	13	4711-01-800-17	585.00	585.00	100
38.	14	2403-00-800-01	1,155.00	590.56	51
39.	14	2403-00-800-01	128.00	83.42	65

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
40.	14	2404-00-191-04	300.00	300.00	100
41.	14	2405-00-101-07	1,125.70	1,029.70	91
42.	15	2202-01-101-03	580.00	580.00	100
43.	15	5475-00-800-02	1,248.00	1,248.00	100
44.	16	2406-01-101-01	70.00	61.08	87
45.	16	2406-01-101-08	3,949.00	2,940.03	74
46.	16	2406-01-102-35	200.00	166.94	83
47.	18	2851-00-102-27	197.00	196.93	100
48.	18	2851-00-103-25	53.00	53.00	100
49.	18	2851-00-107-02	101.00	101.00	100
50.	18	2852-00-102-01	100.00	100.00	100
51.	19	2225-01-001-01	260.00	239.64	92
52.	19	2235-02-101-06	500.00	337.93	68
53.	19	2235-02-102-20	81.00	81.00	100
54.	19	2235-02-103-01	140.94	112.07	80
55.	19	2235-02-103-01	85.00	51.83	61
56.	19	2235-02-103-07	1,074.00	821.80	77
57.	19	2235-02-103-07	120.00	91.98	77
58.	19	2235-02-103-09	200.00	165.58	83
59.	19	2235-02-103-10	165.00	156.38	95
60.	19	2235-02-103-13	137.69	100.00	73
61.	19	2235-02-103-14	400.00	400.00	100
62.	19	2235-02-103-16	200.00	200.00	100
63.	19	2235-00-200-24	50.00	50.00	100
64.	19	4225-03-190-01	92.00	92.00	100
65.	19	4225-80-800-01	100.00	53.15	53
66.	19	4225-80-800-03	70.00	70.00	100
67.	19	4235-02-102-03	100.00	100.00	100
68.	20	2216-03-102-01	3,210.00	1,680.68	52
69.	20	2501-06-101-07	3,487.00	3,487.00	100
70.	20	2501-06-101-07	327.30	320.19	98
71.	20	2501-06-101-09	1,000.00	1,000.00	100
72.	20	2505-01-702-06	4,278.00	2,717.64	64
73.	20	2505-02-101-01	38,499.00	23,294.53	61
74.	20	2505-02-101-03	200.00	200.00	100
75.	20	2515-00-003-03	158.00	158.00	100
76.	20	2515-00-102-10	329.00	329.00	100
77.	23	2801-80-800-02	90.00	50.00	56
78.	23	4801-01-190-07	2,049.00	1,229.00	60
79.	23	4801-01-190-09	3,273.00	3,273.00	100
80.	23	6801-00-190-01	18,239.00	18,239.00	100
81.	27	2203-00-105-04	370.00	370.00	100

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
82.	27	2203-00-105-05	98.00	98.00	100
83.	27	2203-00-105-06	1,288.00	1,288.00	100
84.	27	4202-02-104-01	286.00	286.00	100
85.	27	4202-02-104-02	349.00	349.00	100
86.	28	2217-80-191-47	347.00	347.00	100
87.	28	2217-80-191-48	2,400.00	1,433.20	60
88.	28	2217-80-191-48	267.00	159.69	60
89.	28	2217-80-191-49	5,237.00	5,237.00	100
90.	28	2217-80-191-49	673.00	673.00	100
91.	28	2217-80-192-16	800.00	800.00	100
92.	28	2217-80-192-16	89.00	89.00	100
93.	28	2217-80-192-17	967.00	967.00	100
94.	28	2217-80-192-17	107.00	107.00	100
95.	28	2217-80-193-14	200.00	200.00	100
96.	28	2217-80-193-16	100.00	100.00	100
97.	29	2235-60-102-05	1,000.00	831.41	83
98.	29	3451-00-091-01	1,000.00	892.54	89
99.	29	7610-00-800-04	300.00	289.55	97
100.	30	2070-00-003-02	166.60	114.43	69
101.	30	2220-60-102-02	100.00	80.23	80
102.	30	4220-60-101-02	60.00	60.00	100
103.	31	2202-02-796-17	281.00	262.92	94
104.	31	2210-06-796-14	203.00	203.00	100
105.	31	2210-06-796-15	162.00	162.00	100
106.	31	2211-00-796-08	2,790.00	1,636.00	59
107.	31	2211-00-796-09	150.00	140.90	93
108.	31	2230-02-796-02	200.00	171.55	86
109.	31	2235-02-796-02	1,726.00	1,049.53	61
110.	31	2235-02-796-03	192.00	142.64	74
111.	31	2251-00-796-02	100.00	67.36	67
112.	31	2401-00-796-22	194.00	147.56	76
113.	31	2401-00-796-23	97.00	81.63	84
114.	31	2401-00-796-43	203.00	203.00	100
115.	31	2401-00-796-46	134.00	85.32	64
116.	31	2401-00-796-48	324.00	238.69	74
117.	31	2401-00-796-53	900.00	900.00	100
118.	31	2402-00-796-10	130.00	122.03	94
119.	31	2402-00-796-11	162.00	93.00	57
120.	31	2403-00-796-10	158.00	128.97	82
121.	31	2406-01-796-24	540.00	540.00	100
122.	31	2406-02-796-07	75.00	75.00	100
123.	31	2501-06-796-06	405.00	298.00	74

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹50 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बंध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
124.	31	2501-06-796-07	477.00	477.00	100
125.	31	2505-01-796-07	5,265.00	5,265.00	100
126.	31	2505-01-796-07	585.00	371.87	64
127.	31	4225-02-796-02	50.00	50.00	100
128.	31	4702-00-796-08	900.00	454.30	50
129.	31	4711-01-796-01	450.00	450.00	100
130.	31	6801-00-796-10	4,620.00	3,580.61	77
131.	32	2202-01-789-11	1,444.00	1,177.42	82
132.	32	2202-02-789-03	516.00	418.05	81
133.	32	2202-02-789-13	710.00	634.00	89
134.	32	2202-02-789-13	78.00	69.56	89
135.	32	2202-02-789-14	2,607.00	1,881.68	72
136.	32	2202-02-789-14	290.00	209.41	72
137.	32	2202-02-789-16	748.00	603.00	81
138.	32	2202-03-789-05	1,474.00	1,070.36	73
139.	32	2202-03-789-05	164.00	119.15	73
140.	32	2210-03-789-03	300.00	218.69	73
141.	32	2225-01-789-13	206.00	172.00	83
142.	32	2235-02-789-20	863.00	514.75	60
143.	32	2235-02-789-20	96.00	67.00	70
144.	32	2401-00-789-31	567.00	567.00	100
145.	32	2401-00-789-42	2,519.00	2,519.00	100
146.	32	2401-00-789-43	252.00	200.00	79
147.	32	2406-01-789-14	75.00	75.00	100
148.	32	2406-02-789-01	71.00	71.00	100
149.	32	2505-01-789-02	1,637.00	1,039.78	64
150.	32	2515-00-789-03	60.00	60.00	100
151.	32	2515-00-789-04	126.00	126.00	100
152.	32	2852-80-789-01	50.00	50.00	100
153.	32	4059-01-789-02	76.00	76.00	100
154.	32	4701-20-789-04	584.00	383.80	66
155.	32	4701-21-789-01	747.00	747.00	100
156.	32	4701-21-789-01	83.00	83.00	100
157.	32	4702-00-789-09	75.00	75.00	100
158.	32	4705-00-789-01	168.00	137.26	82
159.	32	4705-00-789-01	126.00	102.99	82
160.	32	4711-01-789-05	121.00	121.00	100
161.	32	4851-00-789-07	76.00	76.00	100
योग			1,92,603.26	1,53,909.11	

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 56)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	08-शिक्षा	2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	100.00	छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की कम पात्रता के कारण
2.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2202-06-101-21	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1,560.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
3.		2210-06-101-23	मानसिक आघात केन्द्रों पर व्यय	1,185.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण तथा राज्य सरकार से अनुपातिक निधि अवमुक्त न करने के कारण
4.		2210-06-101-23	मानसिक आघात केन्द्रों पर व्यय	132.00	भारत सरकार से सहायता अनुदान संस्वीकृत न होने के कारण
5.		2211-00-800-07	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	273.00	सहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण
6.		4210-03-105-02	दंत महाविद्यालय	200.00	बागवानी विकास परियोजना से प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
7.	12- बागवानी	2401-00-119-57	बागवानी विकास परियोजना	6,581.00	कार्य निष्पादन न होने के कारण
8.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-800-14	अन्य व्यय	225.00	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तांतरण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अप्रयुक्त रहा
9.		4711-01-800-12	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डाउन स्ट्रीम में बाइंड्री चरण-III तक खान का चैनलाइजेशन	292.50	निष्पादन न होने के कारण
10.		4711-01-800-13	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक खान तथा इसकी सहायक नदियों (IV) तक का चैनलाइजेशन	178.58	भारत सरकार से निधियां प्राप्ति न होने के कारण
11.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौँछ खड्ड तहसील इंदौरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	877.50	-उपर्युक्त-
12.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	585.00	योजना के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति के कारण
13.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	2404-00-191-04	डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान	300.00	सहितागत औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण
14.	15- आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	माध्यमिक स्कूल	580.00	मशीनरी एवं उपकरण समाग्रियों की खरीदी पर कम व्यय के कारण
15.		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1,248.00	लाभार्थियों से दावे की कम प्राप्ति के कारण
16.	18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-27	भारत का सॉफ्टवेयर तकनीकी उद्यम	196.93	-उपर्युक्त-
17.		2851-00-103-25	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	53.00	क्षतिपूर्ति दावे की कम प्राप्ति के कारण
18.		2851-00-107-02	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रेशम उद्योग का विकास	101.00	संगोष्ठियों के कम आयोजना के कारण
19.		2852-00-102-01	औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा प्रोत्साहन योजना	100.00	-उपर्युक्त-
20.	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-02-102-20	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं	81.00	-उपर्युक्त-
21.		2235-02-103-14	गृह ऊर्जा दक्षता योजना	400.00	-उपर्युक्त-
22.		2235-02-103-16	मुख्यमंत्री किशोरी समग्र विकास योजना	200.00	-उपर्युक्त-
23.		2235-00-200-24	सफाई कर्मचारियों एवं जल उपचार संयंत्र कर्मचारियों का जीवन बीमा	50.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
24.		4225-03-190-01	हिमाचल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश	92.00	कार्यों के कम निष्पादन के कारण
25.		4225-80-800-03	भवनों का निर्माण	70.00	-उपर्युक्त-
26.		4235-02-102-03	मानसिक रूप से विकलांग बच्चों हेतु आवासीय संस्था	100.00	

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्षक	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
27.	20-ग्रामीण विकास	2501-06-101-07	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	3,487.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
28.		2501-06-101-09	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना	1,000.00	-उपर्युक्त-
29.		2505-02-101-03	कच्ची पानी की टांकियों को पॉली लाइन्ड/पक्की टांकियों में बदलने हेतु सामग्री	200.00	योजना के अंतर्गत कोई व्यय न होने के कारण
30.		2515-00-003-03	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	158.00	योजना के अंतर्गत कम निवेश के कारण
31.		2515-00-102-10	ग्रामीण शौचालयों का निर्माण	329.00	-उपर्युक्त-
32.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-09	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को इन्विटी योगदान	3,273.00	कम निवेश के कारण
33.		6801-00-190-01	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	18,239.00	ऋणों के कम भुगतान के कारण
34.	27- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-105-04	मौजूदा सरकारी पॉलिटैक्निक का उन्नयन	370.00	भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
35.		2203-00-105-05	पॉलिटैक्निक योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास में केन्द्रीय सहायता के तहत सरकारी पॉलिटैक्निक	98.00	-उपर्युक्त-
36.		2203-00-105-06	नव पॉलिटैक्निक की स्थापना	1,288.00	-उपर्युक्त-
37.		4202-02-104-01	भवन	286.00	-उपर्युक्त-
38.		4202-02-104-02	महिला छात्रावासों का निर्माण	349.00	-उपर्युक्त-
39.	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	2217-80-191-47	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	347.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरित न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
40.		2217-80-191-49	स्मार्ट सिटी मिशन	5,237.00	भारत सरकार द्वारा अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश कम अवमुक्त रहा
41.		2217-80-191-49	स्मार्ट सिटी मिशन	673.00	-उपर्युक्त-
42.		2217-80-192-16	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	800.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहा
43.		2217-80-192-16	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	89.00	-उपर्युक्त-
44.		2217-80-192-17	अमृत योजना (अटल मिशन)	967.00	-उपर्युक्त-
45.		2217-80-192-17	अमृत योजना (अटल मिशन)	107.00	-उपर्युक्त-
46.		2217-80-193-14	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता अनुदान	200.00	-उपर्युक्त-
47.		2217-80-193-16	सभी सरदार पटेल शहरी आवास योजना हेतु आवास	100.00	-उपर्युक्त-
48.		30- विविध सामान्य सेवाएँ	4220-60-101-02	प्रेस क्लब भवन का निर्माण	60.00
49.	31- जनजातीय विकास	2210-06-796-14	एड्स नियंत्रण सोसायटी	203.00	भारत सरकार से अनुपातिक निधि निस्तांतरण न करने से राज्यांश अप्रयुक्त रहे
50.		2210-06-796-15	मानसिक आघात केन्द्र	162.00	-उपर्युक्त-
51.		2401-00-796-53	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को विश्व बैंक की सहायता	900.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
52.		2406-01-796-24	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु पुर्किंग परियोजना	540.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं तथा दैनिक वेतनभोगियों की कम हिस्सेदारी
53.		2406-02-796-07	शीत मरूस्थल जीव मण्डल संसाधन हेतु प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय	75.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
54.		2501-06-796-07	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	477.00	भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने तथा अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
55.		2505-01-796-07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	5,265.00	अपूर्ण संहितागत औपचारिकताओं के कारण
56.		4225-02-796-02	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामलों के विभागीय भवन	50.00	-उपर्युक्त-
57.		4711-01-796-01	बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय	450.00	-उपर्युक्त-
58.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2401-00-789-31	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	567.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण
59.		2401-00-789-42	हिमाचल प्रदेश बागवानी परियोजना (आंतरिक रूप से जुड़ी परियोजना) में विश्व बैंक का सहयोग	2,519.00	प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण
60.		2406-01-789-14	पूर्ववती वृक्षरोपण का अनुरक्षण	75.00	कार्यों का निष्पादन न होने के कारण
61.		2406-02-789-01	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	71.00	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तारित न करने से राज्यांश अवमुक्त नहीं किया गया।
62.		2515-00-789-03	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	60.00	-उपर्युक्त-
63.		2515-00-789-04	समग्र स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय	126.00	-उपर्युक्त-
64.		2852-80-789-01	औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा प्रोत्साहन	50.00	मुआवजे के मामलों को अंतिम रूप न देने के कारण
65.		4059-01-789-02	न्यायिक अवसरचना का उन्नयन	76.00	कार्यों का निर्माण कार्य न होने से
66.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	747.00	भारत सरकार द्वारा निधियां निस्तारित न होने से राज्यांश अवमुक्त नहीं किया जा सका
67.		4701-21-789-01	नादौन क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	83.00	-उपर्युक्त-
68.		4702-00-789-09	जल विज्ञान परियोजना	75.00	कार्य निष्पादन न होने के कारण
69.		4711-01-789-05	नावार्ड के अतिरिक्त स्वां नदी का चैनलाइजेशन	121.00	-उपर्युक्त-
70.		4851-00-789-07	भारत के सॉफ्टवेयर तकनीकी उद्यान का विकास	76.00	-उपर्युक्त-
योग				66,186.51	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2018 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2029-भू-राजस्व	120.58	23.51	19
2.	05	2053-जिला प्रशासन	153.92	27.24	18
3.	07	2055-पुलिस	245.57	14.36	6
4.	08	2202-सार्वजनिक शिक्षा	1,009.40	79.79	8
5.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	236.92	36.28	15
6.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	26.32	24.10	92
7.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	121.42	99.38	82
8.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	13.59	11.04	81
9.	08	2202-सार्वजनिक शिक्षा	68.11	49.94	73
10.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	18.44	12.09	66
11.	08	2202- सार्वजनिक शिक्षा	299.87	49.68	17
12.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.50	12.59	23
13.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	178.46	13.83	8
14.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	15.60	15.60	100
15.	09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.85	11.85	100
16.	10	3054-सड़क एवं पुल	58.87	10.25	17
17.	10	3054- सड़क एवं पुल	616.86	94.72	15
18.	12	2401-फसल उत्पादन	65.81	65.81	100
19.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	26.12	13.18	50
20.	13	4705- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	38.32	37.42	98
21.	15	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12.48	12.48	100
22.	16	2406-वानकी एवं वन्य जीवन	303.51	35.44	12
23.	16	2406- वानकी एवं वन्य जीवन	39.49	29.40	74
24.	20	2216-आवास	32.10	16.81	52
25.	20	2501-जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	34.87	34.87	100
26.	20	2501- जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	10.00	10.00	100
27.	20	2501- जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	29.61	10.47	35
28.	20	2505-ग्रामीण विकास	42.78	27.18	64
29.	20	2505-ग्रामीण विकास	384.99	232.95	61
30.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	90.05	11.09	12
31.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	352.76	40.16	11
32.	22	2408-खाद्य भंडारण	220.00	78.45	36
33.	23	2801-विद्युत	450.00	90.00	20
34.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	91.70	22.87	25

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
35.	23	4801- विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.49	12.29	60
36.	23	4801- विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32.73	32.73	100
37.	23	6801-विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	182.39	182.39	100
38.	23	6801- विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	217.79	12.32	6
39.	27	2203-तकनीकी शिक्षा	12.88	12.88	100
40.	27	2230-श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	150.00	132.20	88
41.	27	2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	99.00	40.29	41
42.	28	2217-शहरी विकास	24.00	14.33	60
43.	28	2217- शहरी विकास	52.37	52.37	100
44.	29	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	441.17	116.60	26
45.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	602.81	14.34	2
46.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	525.68	161.25	31
47.	29	2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	242.41	55.74	23
48.	31	2211-परिवार कल्याण	27.90	16.36	59
49.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.26	10.50	61
50.	31	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	46.20	35.81	78
51.	32	2202-सार्वजनिक शिक्षा	14.44	11.77	82
52.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	46.48	16.68	36
53.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	26.07	18.82	72
54.	32	2202- सार्वजनिक शिक्षा	14.74	10.71	73
55.	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	78.09	28.81	37
56.	32	2401-फसल उत्पादन	25.19	25.19	100
57.	32	2406-वनिकी एवं वन्य जीव	15.11	14.25	94
58.	32	2505-ग्रामीण रोजगार	147.36	147.36	100
59.	32	2505- ग्रामीण रोजगार	16.37	10.40	64
60.	32	6801- विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	61.41	17.28	28
योग			8,615.21	2,558.50	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 60)

31 मार्च 2018 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8443	106	सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन बिलासपुर	0.88
2	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 1) घुमारवीं	2.92
3	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 2) घुमारवीं	2.44
4	8443	106	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 3) घुमारवीं	1.20
5	8443	106	सिविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन बिलासपुर	1.11
6	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर	2.94
7	8443	106	सी.जी.एम. चम्बा	4.93
8	8443	106	सी.जी.एम. डलहौजी	0.52
9	8443	106	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, शिमला राजधानी	18.91
10	8443	106	आई.जी.एम.सी. शिमला राजधानी	17.07
11	8443	106	आई.जी. युवा तथा खेल परिसर शिमला, शिमला राजधानी	23.96
12	8443	106	सब-न्यायाधीश हमीरपुर	8.40
13	8443	106	सब-न्यायाधीश बड़सर	2.21
14	8443	106	सब-न्यायाधीश नादौन	1.88
15	8443	106	सी.जी.एम. कुल्लू	5.25
16	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश कुल्लू	0.28
17	8443	106	सी.जी.एम. न्यायाधीश आनी	0.48
18	8443	106	सब-न्यायाधीश मनाली	1.16
19	8443	106	सब-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी कांगड़ा	1.94
20	8443	106	सब-न्यायाधीश नूरपुर	2.82
21	8443	106	सब-न्यायाधीश पालमपुर	1.64
22	8443	106	सब-न्यायाधीश देहरा	1.78
23	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला	1.28
24	8443	106	सब-न्यायाधीश ज्वाली	1.31
25	8443	106	सब-न्यायाधीश द्वितीय डिविजन कांगड़ा	1.27
26	8443	106	सब-न्यायाधीश देहरा-डूडू	1.07
27	8443	106	सब-न्यायाधीश बैजनाथ	1.49
28	8443	106	ए.सी. से डी.सी. धर्मशाला	0.32
29	8443	106	सी.जी.एम. धर्मशाला	7.87
30	8443	106	सब-न्यायाधीश इंदौरा	0.72
31	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश कल्पा	22.13
32	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश सुंदरनगर	1.90
33	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश मण्डी	7.48
34	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश सरकाघाट	2.80
35	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश जोगिन्द्रनगर	1.57
36	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश करसोग	0.93
37	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर	0.05
38	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश गोहर	1.40
39	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश शिमला	2.77
40	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	7.47
41	8443	106	सब-न्यायाधीश रामपुर	0.91
42	8443	106	सब-न्यायाधीश ठियोग	2.28
43	8443	106	एस.डी.ओ. (सी.) डोडराक्वार	0.00*
44	8443	106	सब-न्यायाधीश रोहडू	4.01
45	8443	106	सीनियर सब-न्यायाधीश शिमला	11.19
46	8443	106	सब-न्यायाधीश चौपाल	0.32

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
47	8443	106	सब-न्यायाधीश जुबल शिमला	14.14
48	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर	21.51
49	8443	106	जिला सत्र न्यायाधीश नाहन	1.24
50	8443	106	अपर जिला सत्र न्यायाधीश नाहन	1.35
51	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश नाहन (सीनियर डिविजन)	3.29
52	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पांवटा	1.74
53	8443	106	सीविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) राजगढ़	0.99
54	8443	106	सब-न्यायाधीश कण्डाघाट	0.79
55	8443	106	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन	3.31
56	8443	106	सीविल न्यायाधीश नालागढ़	3.94
57	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन सोलन	2.00
58	8443	106	सीविल न्यायाधीश अर्की	0.99
59	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन सोलन	2.99
60	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन	1.07
61	8443	106	सीविल न्यायाधीश जूनियर डिविजन कसौली	0.78
62	8443	106	सीविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन कसौली	2.03
63	8443	106	सीनियर सब न्यायाधीश ऊना	7.77
64	8443	106	जूनियर सब न्यायाधीश अम्ब	3.90
65	8448	109	पी.एस. झण्डुता	0.98
66	8448	109	पी.एस. पंचरुखी	0.10
67	8448	109	पी.एस. लम्बागांव	2.59
68	8448	109	पी.एस. कल्पा	5.73
69	8448	109	पी.एस. दरंग	0.00*
70	8448	109	पी.एस. चौतड़ा	3.05
71	8448	109	पी.एस. नारकण्डा	49.13
72	8448	109	पी.एस. रोहडू	0.17
73	8448	109	पी.एस. जुबल	1.47
74	8448	109	पी.एस. डोडराक्वार	0.09
75	8448	109	पी.एस. सोलन	0.00*
76	8448	109	पी.एस. धर्मपुर	0.00*
77	8448	109	पी.एस. कण्डाघाट	2.32
78	8448	109	पी.एस. गगरेट	0.00*
79	8448	109	पी.एस. अम्ब	0.00*
80	8448	109	नगर पंचायत मेहतपुर	0.00*
81	8448	109	नगर पंचायत संतोषगढ़	0.05
82	8448	106	आई.सी.ए.आर. की निधियां	9.91
			योग	336.68 या कहे ₹ 3.37 करोड़

* वास्तविक आंकड़े हैं ₹ 0.10, 0.17, 0.32, 0.62, 0.61, 0.65 और 481/- केवल।

परिशिष्ट-2.13 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
0852	4.84	4.84	100.00
0057	0.02	0.02	100.00
0211	0.00	0.00	100.00
0217	11.26	11.26	100.00
0250	0.13	0.13	100.00
0407	0.01	0.01	100.00
0408	38.43	38.43	100.00
0575	0.07	0.07	100.00
0801	687.61	687.61	100.00
1055	0.83	0.83	100.00
1425	0.04	0.04	100.00
1456	0.09	0.09	100.00
4000	34.82	34.82	100.00
1452	3.19	3.27	97.45
1054	33.94	40.64	83.51
0235	5.95	8.01	74.32
0401	8.79	12.28	71.58
0425	3.68	5.26	69.95
0515	1.90	2.76	68.57
0070	27.25	40.45	67.36
0045	222.55	351.61	63.29
0403	0.70	1.16	60.35
0230	3.90	6.84	56.98
0406	26.32	46.87	56.14
0075	2.59	5.46	47.44
0059	20.61	55.86	36.90
0210	3.54	10.27	34.45
0220	0.65	1.96	33.25
0029	5.36	16.96	31.57
1475	1.65	5.48	30.05
0056	0.09	0.31	28.84
0851	0.18	0.63	27.99
0853	37.62	441.46	8.52
0041	30.44	367.16	8.29
0042	8.41	111.69	7.53
0055	3.59	63.33	5.67
0405	0.19	3.38	5.65
0049	18.03	340.54	5.29
0039	58.58	1311.25	4.47
0215	1.35	52.95	2.54
0030	3.89	229.18	1.70
0700	0.00	0.04	0.67
0202	0.98	180.76	0.54
0051	0.04	10.46	0.38
0058	0.02	10.18	0.23
0043	0.36	360.79	0.10
0006	0.17	1833.16	0.01
0216	0.00	3.99	0.00

परिशिष्ट-2.13 (ख)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किए गए राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
4700	0.56	0.56	100.00
5475	158.33	158.33	100.00
2075	26.25	26.53	98.97
2407	1.28	1.33	96.49
5452	2.50	2.64	94.70
4711	41.99	45.29	92.72
4235	6.77	7.91	85.60
4070	10.53	12.55	83.90
4701	5.23	7.89	66.31
2211	194.52	340.97	57.05
4851	38.48	72.83	52.84
2501	42.40	97.76	43.37
2402	17.05	68.73	24.81
2852	1.04	4.71	22.02
2711	1.14	6.00	18.95
2401	75.87	453.52	16.73
2230	18.47	155.89	11.85
4401	1.19	12.86	9.26
2235	80.79	874.39	9.24
4225	0.47	5.28	8.87
4202	19.80	341.56	5.80
4406	0.41	7.41	5.50
4215	19.99	461.58	4.33
7610	0.11	3.17	3.32
2202	120.28	5604.11	2.15
3054	29.36	1499.36	1.96
2014	3.80	196.98	1.93
5054	29.45	1531.75	1.92
4402	0.48	26.70	1.79
2403	4.95	317.80	1.56
2012	0.10	6.41	1.52
2204	0.20	20.14	0.99
2216	1.14	117.57	0.97
2053	1.62	207.13	0.78
4216	0.39	53.58	0.73
6004	0.44	78.89	0.55
2702	1.22	402.54	0.30
2801	0.93	367.72	0.25
2406	0.96	402.84	0.24
2225	0.10	56.15	0.18
2405	0.02	17.68	0.12
2250	0.00	3.92	0.11
3452	0.05	140.14	0.04
2070	0.00	85.91	0.00
2210	0.01	1402.00	0.00

परिशिष्ट-2.13 (ग)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 62)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई फ्लैगशीप योजनाएं

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	09	2211-00-800-01	1.00
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	09	2211-00-800-05	9.63
3.	मैत्री सेवा योजना	09	2211-00-800-06	0.01
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	09	2211-00-800-09	0.01
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	11	2401-00-800-16	10.85
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11	2401-00-800-13	15.80
7.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	11	2402-00-800-04	13.17
8.	उत्तम पशु पुरस्कार योजना	14	2403-00-800-04	0.20
9.	मुख्या मंत्री ग्राम पथ योजना	15	5475-00-800-04	5.50
10.	नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना)	16	2406-01-800-06	0.30
11.	मातृ शक्ति बीमा योजना	20	2501-06-800-03	1.00
12.	अुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना	20	2501-06-800-08	20.00
योग				77.47

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6.1.4; पृष्ठ 65)

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(i) योजनागत:		(₹ लाख में)		
लेखा शीर्ष	अंतिम अनुदान	व्यय	अभ्यर्पण	
2059-01-053-72	345.00	45.00 (13)	300.00 (87)	
2202-02-109-01	10.00	4.80 (48)	5.20 (52)	
2202-02-109-06	12,142.00	2,204.36 (18)	9,937.64 (82)	
2202-02-109-06	1,349.00	244.93 (18)	1,104.07 (82)	
2202-02-109-10	6,811.00	1,816.84 (27)	4,994.16 (73)	
2202-02-109-10	757.00	201.87 (27)	555.13 (73)	
2202-02-109-14	104.00	36.84 (35)	67.16 (65)	
2202-02-109-14	12.00	4.10 (34)	7.90 (66)	
2202-02-109-16	1,844.00	635.00 (34)	1,209.00 (66)	
2202-02-109-16	205.00	70.56 (35)	134.44 (66)	
2202-03-103-01	546.00	0.53 (1)	545.47 (99)	
2202-05-103-01	30.00	15.00 (50)	15.00 (50)	
2202-80-004-02	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-004-02	0.02	0 (0)	0.02 (100)	
2202-80-107-15	100.00	0 (0)	100.00 (100)	
योग	24255.03 या कहे ₹ 242.55 करोड़	5279.83 या कहे ₹ 52.80 करोड़	18975.20 या कहे ₹ 189.20 करोड़	

(ii) आयोजनेत्तर: (₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अंतिम अनुदान	व्यय	अभ्यर्पण	
2059-01-053-33	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-001-01	0.07	0 (0)	0.07 (100)	
2202-02-001-01	0.51	0 (0)	0.51 (100)	
2202-02-101-01	0.62	0.03 (5)	0.59 (95)	
2202-02-101-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-109-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-02-109-01	1,050.00	372.00 (35)	678.00 (65)	
2202-02-109-21	300.00	50.00 (17)	250.00 (83)	
2202-02-109-22	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-03-103-01	52.17	23.24 (45)	28.93 (55)	
2202-03-103-01	11.99	3.48 (29)	8.51 (71)	
2202-03-103-01	20.00	4.73 (24)	15.27 (76)	
2202-03-103-01	95.00	51.50 (54)	43.50 (46)	
2202-03-103-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-03-103-02	369.90	193.91 (52)	175.99 (48)	
2202-03-103-08	5.00	0 (0)	5.00 (100)	
2202-03-103-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-107-15	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-01	0.02	0 (0)	0.02 (100)	
2202-80-800-02	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-08	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-08	63.97	37.27 (58)	26.70 (42)	
2202-80-800-11	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-17	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2202-80-800-17	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2205-00-105-01	10.00	3.76 (38)	6.24 (62)	
2205-00-105-01	0.01	0 (0)	0.01 (100)	
2205-00-105-01	0.21	0 (0)	0.21 (100)	
योग	1979.60 या कहे ₹ 19.80 करोड़	739.92 या कहे ₹ 7.40 करोड़	1239.68 या कहे ₹ 12.40 करोड़	

कोष्ठक में आंकड़े सूचीकृत बजट के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.2; पृष्ठ 73)

समूह बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान का गलत वर्गीकरण
(2017-18 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	बचत निधि के तहत बुक बीमा भुगतान	बीमा निधि के तहत बुक बचत निधि भुगतान	गलत वर्गीकृत कुल राशि
1.	कोषागार, पांगी	05	--	1,186	1,186
2.	जिला कोषागार हमीरपुर	07	--	35,493	35,493
3.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	12	75,000	4,55,760	5,30,760
4.	राज्य कोषागार कांगड़ा	08	60,000	1,12,021	1,72,021
5.	राज्य कोषागार इंद्रौरा	04	--	1,46,868	1,46,868
6.	राज्य कोषागार नूरपुर	02	15,000	--	15,000
7.	राज्य कोषागार ज्वाली	03	--	77,094	77,094
8.	राज्य कोषागार कासवा कोटला	04	--	70,597	70,597
9.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	09	15,000	--	15,000
10.	जिला कोषागार कुल्लू	05	--	84,764	84,764
11.	राज्य कोषागार निरमण्ड	04	30,000	8,618	38,618
12.	जिला कोषागार मण्डी	03	--	41,703	41,703
13.	राज्य कोषागार लडभरोल	02	--	15,324	15,324
14.	राजधानी कोषागार, शिमला	08	--	35,493	35,493
15.	राज्य कोषागार सुन्नी	03	--	85,286	85,286
16.	राज्य कोषागार चौपाल	04	--	27,875	27,875
17.	राज्य कोषागार रामपुर	06	--	35,766	35,766
18.	राज्य कोषागार ठियोग	04	15,000	--	15,000
19.	राज्य कोषागार कुमारसेन	05	--	2,913	2,913
20.	राज्य कोषागार ननखड़ी	05	--	6,370	6,370
21.	राज्य कोषागार कुपवी	04	--	12,481	12,481
22.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	10	1,80,000	1,83,532	3,63,532
23.	राज्य कोषागार राजगढ़	06	--	16,994	16,994
24.	जिला कोषागार सोलन	09	15,000	52,157	67,157
25.	राज्य कोषागार उप कोषागार कण्डाघाट	02	--	28,227	28,227
26.	राज्य कोषागार कसौली	05	--	14,261	14,261
27.	जिला कोषागार ऊना	06	60,000	1,88,045	2,48,045
योग			4,65,000 या कहें ₹ 4.65 लाख	17,38,828 या कहें ₹ 17.39 लाख	22,03,828 या कहें ₹ 22.04 लाख

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.3 पृष्ठ 74)

पेंशनभोगी शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	व्यय की प्रकृति			जिसके तहत खाते के प्रमुख
			डी.सी.आर.जी.	पेंशन	विनिमय	
1.	राज्य कोषागार झण्डुता	05	10,304	--	--	2071-01-102-02
2.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	05	--	13,10,522 16,24,583	--	2071-01-101-02 2071-01-105-01
3.	जिला कोषागार कुल्लू	07	--	1,59,473	--	2071-01-105-01
4.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	07	--	2,16,490	--	2071-01-105-01
5.	राज्य कोषागार राजगढ़	02	7,03,271	--	--	2071-01-102-02
6.	जिला कोषागार सोलन	05	52,204 1,04,549	--	--	2071-01-101-02 2071-01-105-01
		योग	8,70,328 या कहे ₹ 8.70लाख	33,11,068 या कहे ₹ 33.11लाख		

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.4; पृष्ठ 74)

बिना बजट बिलों का अनुमोदन

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	डी.डी.ओ0 की संख्या	मामलों की संख्या	बिना बजट प्राधिकृत राशि
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	08(क)	06	06	45.38
2.	राज्य कोषागार नैना देवी जी स्थित स्वारघाट	06	01	01	2.89
3.	जिला कोषागार चम्बा	03	05	05	20.11
4.	राज्य कोषागार पांगी	03(ख)	05	05	57.62
5.	राज्य कोषागार चौवाड़ी	03(ख)	01	01	2.68
6.	राज्य कोषागार भरमौर	02(क)	02	02	1.84
7.	राज्य कोषागार हरोली	02(क)	01	01	4.37
8.	जिला कोषागार हमीरपुर	05(क)	04	04	9.75
9.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	10	06	06	60.97
10.	राज्य कोषागार देहरा	04	02	02	6.66
11.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	05	04	04	61.40
12.	राज्य कोषागार सांगला	03(ख)	01	01	11.44
13.	राज्य कोषागार मोरंग	03(ख)	03	03	11.35
14.	जिला कोषागार केलांग	03(ख)	02	02	4.15
15.	राज्य कोषागार उदयपुर	04(ख)	03	03	13.42
16.	कोषागार काजा	05(क)	04	05	11.95
17.	जिला कोषागार मण्डी	06(ख)	03	03	31.28
18.	राज्य कोषागार जोगिन्द्र नगर	02	01	01	2.93
19.	राज्य कोषागार करसोग	03	03	03	4.76
20.	राज्य कोषागार औट	02	04	08	689.62
21.	राजधानी शिमला	05	04	04	4.77
22.	जिला कोषागार शिमला	08	02	02	1.72
23.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	05	01	01	1.11
24.	राज्य कोषागार पछाड़	03	01	01	0.59
25.	राज्य कोषागार राजगढ़	05	02	17	151.67
26.	राज्य कोषागार शिलाई	02	01	01	3.09
27.	राज्य कोषागार संग्रह	03(क)	02	02	7.34
28.	राज्य कोषागार नौहराधार	02	01	01	0.21
29.	जिला कोषागार सोलन	06	01	01	32.41
30.	जिला कोषागार ऊना	05	06	06	32.00
31.	राज्य कोषागार हरोली	02	02	02	7.50
32.	राज्य कोषागार अम्ब	04	01	01	0.60
	योग	132	85	105	1,297.58 या कहें ₹12.98 करोड़

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: परिच्छेद 2.8.5; पृष्ठ 74)

संस्वीकृत बजट से अधिक राशि का अनुमोदन

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला कोषागार/उप कोषागार का नाम	परिच्छेद संख्या	डी.डी.ओ0 की संख्या	मामलों की संख्या	प्राधिकृत अधिक राशि
1.	जिला कोषागार बिलासपुर	08(ख)	07	07	13.34
2.	राज्य कोषागार धुमारवीं	02	12	12	30.23
3.	राज्य कोषागार नैना देवी जी स्थित स्वारघाट	06	04	04	2.50
4.	राज्य कोषागार झण्डूता	03	05	06	54.44
5.	जिला कोषागार चम्बा	03	05	06	220.07
6.	राज्य कोषागार पांगी	03(क)	06	06	157.06
7.	राज्य कोषागार डल्हौजी	02	02	02	9.80
8.	राज्य कोषागार चुवाड़ी	03(क)	01	02	0.58
9.	राज्य कोषागार भरमौर	02(ख)	07	07	193.96
10.	राज्य कोषागार तीसा	02	02	02	15.06
11.	राज्य कोषागार सलूणी	03	01	04	24.97
12.	राज्य कोषागार होली	02(ख)	08	09	60.23
13.	राज्य कोषागार सिंहूता	03	04	05	58.27
14.	राज्य कोषागार भलाई	02	04	04	20.82
15.	जिला कोषागार हमीरपुर	05(ख)	05	05	81.85
16.	राज्य कोषागार बड़सर	03	06	06	12.17
17.	राज्य कोषागार नादौन	03	06	06	30.68
18.	राज्य कोषागार सुजानपुर टिहरा	02	04	04	1.45
19.	उप कोषागार भौरंज	03	06	06	10.85
20.	जिला कोषागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला	10	06	06	110.42
21.	राज्य कोषागार कांगड़ा	06	09	10	1,357.19
22.	राज्य कोषागार देहरा	04	05	05	157.81
23.	राज्य कोषागार इंदौरा	03	03	03	4.07
24.	राज्य कोषागार नूरपुर	03	01	03	16.95
25.	राज्य कोषागार पालमपुर	03	06	07	105.87
26.	राज्य कोषागार जयसिंहपुर	03	05	08	40.51
27.	राज्य कोषागार ज्वाली	04	05	05	31.17
28.	राज्य कोषागार फतेहपुर	02	03	04	11.17
29.	राज्य कोषागार खुंडियां	02	02	04	22.50
30.	राज्य कोषागार बैजनाथ	05	04	05	33.77
31.	राज्य कोषागार कासवा कोटला	03	02	04	51.63
32.	राज्य कोषागार बरोह	04	06	06	25.98
33.	जिला कोषागार किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	05	05	06	4.46
34.	राज्य कोषागार पूह	02	04	04	6.41
35.	राज्य कोषागार सांगला	03	05	05	11.28
36.	राज्य कोषागार मोरंग	03	03	03	2.52
37.	राज्य कोषागार निचर	02	04	04	11.64
38.	जिला कोषागार कुल्लू	06	07	07	31.86
39.	राज्य कोषागार आनी	03	05	06	39.11
40.	राज्य कोषागार बंजार	02	04	05	78.52
41.	राज्य कोषागार निरमण्ड	03	03	03	53.16
42.	राज्य कोषागार मनाली	03	03	03	59.72
43.	जिला कोषागार केलांग	03(क)	07	07	34.58
44.	राज्य कोषागार उदयपुर	04(क)	03	03	7.36
45.	कोषागार काजा	05(ख)	04	07	67.70
46.	जिला कोषागार मण्डी	06	08	08	303.46

47.	राज्य कोषागार सुन्दर नगर	03	04	04	36.07
48.	राज्य कोषागार जोगिन्द्र नगर	02	06	07	15.53
49.	राज्य कोषागार सरकाघाट	03	02	04	24.55
50.	राज्य कोषागार च्वयोट	01	06	06	9.81
51.	राज्य कोषागार थुनग	01	02	02	1.77
52.	राज्य कोषागार लडभरोल	03	02	03	15.54
53.	राज्य कोषागार संधोल	03	01	02	91.97
54.	राज्य कोषागार बालीचौकी	03	01	01	41.95
55.	राज्य कोषागार कोटली	01	03	05	60.35
56.	राज्य कोषागार पधर	03	01	03	153.34
57.	राज्य कोषागार बलद्धाडा	03	02	02	19.40
58.	राजधानी शिमाल	05	06	07	14.82
59.	जिला कोषागार शिमला	08	07	08	196.72
60.	राज्य कोषागार सुन्ती	02	06	06	37.60
61.	राज्य कोषागार चौपाल	01	04	04	7.66
62.	राज्य कोषागार रामपुर	05	06	06	57.48
63.	राज्य कोषागार कुमारसैन	04	03	03	7.35
64.	राज्य कोषागार ननखड़ी	04	06	06	13.32
65.	राज्य कोषागार कुपवी	03	03	03	9.21
66.	राज्य कोषागार नेरवा	01	05	06	27.89
67.	जिला कोषागार सिरमौर स्थित नाहन	05	07	08	165.63
68.	राज्य कोषागार पछाड़	03	01	05	103.76
69.	राज्य कोषागार पांवटा साहिब	04	05	05	30.66
70.	राज्य कोषागार शिलाई	02	04	04	9.38
71.	राज्य कोषागार संग्रह	03	04	04	10.77
72.	राज्य कोषागार कामरू	02	03	03	35.75
73.	राज्य कोषागार ददाहू	04	01	01	53.33
74.	राज्य कोषागार नौहराधार	02	02	03	20.59
75.	जिला कोषागार सोलन	06	06	07	89.54
76.	राज्य कोषागार अर्की	06	06	07	47.28
77.	राज्य कोषागार कसौली	03	02	02	8.40
78.	राज्य कोषागार नालागढ़	07	06	06	248.48
79.	राज्य कोषागार रामशहर	01	05	05	12.14
80.	राज्य कोषागार किशनगढ़	02	02	03	16.16
81.	जिला कोषागार ऊना	05	05	05	59.85
82.	राज्य कोषागार हरोली	02	05	05	157.73
83.	राज्य कोषागार बंगाणा	04	06	06	31.88
84.	राज्य कोषागार अम्ब	04	07	08	99.63
योग		84	370	419	5,722.44 या कहेँ ₹57.22 करोड़

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 77)

31 मार्च 2018 तक बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3.	4.	5.	6	7
1.	राज्य के अंग					
	2011-संसद/राज्य/संघ शासित विधायिका	2016-17	1	8.23	-	-
			1	8.23	-	-
2.	प्रशासनिक सेवाएं					
	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2015-16	1	0.89	-	-
		2016-17	1	125.00	-	-
			2	125.89	-	-
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2015-16	20	846.37	-	-
		2016-17	17	500.00	-	-
			37	1,346.37	-	-
3.	ग्रामीण विकास					
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	2011-12	156	15142.01	156	4882.35
		2012-13	292	15,257.85	150	4925.90
		2013-14	290	21364.51	156	10371.62
		2014-15	345	31,111.12	195	23316.95
		2015-16	282	31,437.60	150	29117.58
		2016-17	375	47480.89	375	47480.89
	कुल (ग्रामीण विकास)		1740	161793.98	1182	120095.30
4.	ग्रामीण रोजगार					
	ग्रामीण रोजगार	2011-12	9	2113.15	1	8.08
		2012-13	17	3,911.91	-	-
		2013-14	14	5008.72	-	-
		2014-15	19	39,245.37	-	-
		2015-16	31	45,559.04	15	6790.88
		2016-17	34	34,301.61	34	34301.61
				124	130139.80	50
	विशेष कार्यक्रम	2014-15	20	932.91	15	851.27
		2015-16	22	3,277.39	22	3277.39
		2016-17	46	11,804.63	36	11471.76
			88	16014.93	73	15600.42
	कुल (ग्रामीण रोजगार)		212	146154.73	123	56700.99
5.	शिक्षा					
	सामान्य शिक्षा	2015-16	4	152.00	1	100.00
		2016-17	58	26395.48	6	442.00
			62	26547.48	7	542.00
	खेल एवं युवा सेवाएं	2014-15	1	2.71	-	-
		2016-17	21	512.98	1	300.00
			22	515.69	1	300.00
	तकनीकी शिक्षा	2016-17	4	9.29	-	-
	कुल (शिक्षा)		88	27072.46	8	842.00

6.	कला एवं संस्कृति					
	कला एवं संस्कृति	2016-17	146	685.54	132	525.24
	कुल (कला एवं संस्कृति)		146	685.54	132	525.24
7.	शहरी विकास					
	शहरी विकास	2010-11	5	1919.83	-	-
		2011-12	4	728.63	-	-
		2014-15	29	11973.51	5	212.58
		2015-16	60	21250.05	17	7,016.94
		2016-17	111	53,447.25	104	38,296.73
	कुल (शहरी विकास)		209	89319.27	126	45,526.25
8.	पशु पालन					
	फसल पालन	2014-15	11	400.00	-	-
		2016-17	12	9,535.20	12	8635.00
			23	9,935.20	12	8635.00
	पशु पालन	2014-15	11	344.36	11	344.36
		2015-16	29	2808.05	28	2805.30
		2016-17	46	2426.50	-	-
			86	5578.91	39	3149.66
	कुल (पशु पालन)		109	15514.11	51	11784.66
9.	सहकारिता					
	सहकारिता	2014-15	4	3.95	2	2.15
		2015-16	34	53.86	3	4.30
		2016-17	38	108.15	18	15.87
	कुल (सहकारिता)		76	165.96	23	22.32
10.	पर्यटन					
	पर्यटन	2014-15	2	3.30	2	3.30
		2015-16	2	4.15	2	4.15
		2016-17	3	2655.00	3	2655.00
	कुल (पर्यटन)		7	2662.45	7	2662.45
11.	आवास					
	आवास	2014-15	45	981.73	38	869.58
		2015-16	85	5165.14	50	2,120.23
		2016-17	91	6913.05	65	3,038.20
			221	13059.92	153	6,028.01
	कुल (आवास)		221	13059.92	153	6,028.01
12.	उद्योग					
	ग्राम एवं लघु उद्योग	2012-13	3	49.21	1	7.21
		2013-14	4	147.21	-	-
		2014-15	3	69.09	2	24.09
		2015-16	33	388.53	20	143.60
		2016-17	132	5,923.46	71	3505.66
	कुल (उद्योग)		175	6,577.50	94	3680.56
13.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं					
	डेयरी (दुग्ध) विकास	2015-16	21	1,666.16	21	1666.16
		2016-17	21	1,661.88	21	1661.89
			42	3,328.05	42	3328.05
	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागारण	2014-15	2	2.21	-	-
		2015-16	13	21.70	-	-
		2016-17	34	52.09	8	14.81

			49	76.00	8	14.81
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2016-17	2	9.93	-	-
			2	9.93	-	-
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2016-17	2	1,000.00	2	1,000.00
			2	1,000.00	2	1,000.00
	कुल (कृषि एवं संबद्ध सेवाएं)		95	4,413.97	52	4,342.86
14.	वन					
	2406-वन तथा वन्य जीव	2012-13	9	170.64	-	-
		2013-14	11	431.34	-	-
		2014-15	70	442.46	10	51.06
		2015-16	111	500.35	21	160.53
		2016-17	187	812.06	100	458.96
	कुल (वन)		388	2,356.86	131	670.55
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2012-13	1	100.00	-	-
		2013-14	34	1083.60	-	-
		2014-15	40	5584.30	-	-
		2015-16	48	7684.20	-	-
		2016-17	82	9238.57	77	7,012.62
			205	23690.69	77	7,012.62
	पारिवारिक स्वास्थ्य	2013-14	1	533.00	-	-
		2016-17	37	17875.59	36	11591.52
			38	18408.59	36	11591.52
	कुल (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य)		243	42099.28	113	18604.14
16.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2012-13	8	301.14	7	254.26
		2013-14	3	8.60	3	8.60
		2014-15	3	219.10	-	-
		2015-16	4	235.00	4	235.00
		2016-17	5	237.00	5	237.00
			23	1000.84	19	734.86
	श्रम एवं रोजगार	2016-17	2	5.00	-	-
			2	5.00	-	-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	49.00	1	49.00
			1	49.00	1	49.00
	कुल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		26	1054.84	20	783.86
17.	मत्स्य पालन					
	मत्स्य पालन	2014-15	5	25.00	-	-
		2015-16	15	13.58	-	-
		2016-17	10	16.80	10	16.80
	कुल (मत्स्य पालन)		30	55.38	10	16.80
18.	योजना					
	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2014-15	11	453.22	5	55.54
		2015-16	11	603.06	2	67.01
		2016-17	4	1291.36	2	1091.36
			26	2374.64	9	1213.91
	अन्य ग्रामीण विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	149.00	1	149.00

	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	3	35.00	3	35.00
			3	35.00	3	35.00
	अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	3	2.12	-	-
		2015-16	5	3.04	-	-
		2016-17	1	0.27	-	-
			9	5.43	-	-
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012-13	1	3.00	-	-
		2013-14	2	15.02	-	-
		2014-15	5	417.59	-	-
		2015-16	5	35.69	-	-
		2016-17	4	23.50	4	23.50
			17	494.80	4	23.50
	कुल (योजना)		56	3,058.87	17	1,421.41
19.	आबकारी एवं कराधान विभाग					
	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	2015-16	12	543.02	8	306.85
		2016-17	262	1,002.89	250	688.65
	कुल (आबकारी एवं कराधान विभाग)		274	1,545.91	258	995.50
20.	भू-राजस्व					
	भू-राजस्व	2015-16	1	1.00	1	1.00
		2016-17	16	80.00	14	70.00
			17	81.00	15	71.00
	विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	1	5.72	-	-
		2014-15	8	141.00	-	-
		2015-16	21	250.92	1	49.74
		2016-17	17	212.17	16	207.93
			47	609.81	17	257.67
	कुल (भू-राजस्व)		64	690.81	32	328.67
21.	लोक निर्माण कार्य					
	सड़क एवं पुल	2014-15	1	330	-	-
		2015-16	1	462	-	-
		2016-17	1	600	1	191.34
			3	1392.00	1	191.34
	सड़क परिवहन	2016-17	2	559.48	2	559.48
			2	559.48	2	559.48
	कुल (लोक निर्माण कार्य)		5	1951.48	3	750.82
22.	पुलिस					
	पुलिस	2016-17	4	1,300.60	4	1,025.51
	कुल (पुलिस)		4	1,300.60	4	1,025.51
23.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता					
	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2015-16	2	322.80	-	-
		2016-17	2	399.20	2	399.20
	कुल (जलापूर्ति एवं स्वच्छता)		4	722.00	2	399.20
24.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2015-16	158	463.63	26	125.79
		2016-17	574	3870.34	137	2616.55
			732	4333.97	163	2742.34
	कुल (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)		732	4333.97	163	2742.34
25.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण					
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2014-15	3	80.20		

		2015-16	16	9.62		
		2016-17	17	100.42	6	28.42
			36	190.24	6	28.42
	पर्यावरण परिस्थितिकी	2016-17	8	21.70	-	-
			8	21.70	-	-
	कुल (विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण)		44	211.94	6	28.42
26.	विद्युत					
	विद्युत	2011-12	2	212.00	-	-
		2013-14	1	1,854.00	-	-
		2014-15	1	1,259.00	-	-
		2016-17	1	90.00	-	-
			5	3,415.00	-	-
	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	2015-16	4	23.00	-	-
		2016-17	7	20.00	-	-
			11	43.00	-	-
	कुल (विद्युत)		16	3,458.00	-	-
	सकल योग		5,004	531740.33	2710	2799,77.86

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 78)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1	द्वि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 बाद	2016-17	7 महीने 19 दिन	2016-17 (28.03.2018)	2015-16 (15.03.2017)	--
2	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2017-18	-	2013-14	2013-14	वर्ष 2013-14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है
3	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
4	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना	-	2016-17	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
5	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
6	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
8	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला	-	2016-17	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
9	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
10	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
11	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
12	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
13	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, मण्डी	-	2015-16	-	2013-14	2013-14	-उपर्युक्त-
14	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	--	2014-15	2 वर्ष	2013-14	अभी तक रखे जाने को शेष	प्रक्रियाधीन

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 79)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	-	-	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	-	-	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	-	-	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.40	02	0.40
10.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	03	25.42	-	-	-	-	03	25.42
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	0.90	-	-	-	-	-	-	02	0.21	03	1.11
12.	स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	01	3.99	01	2.38	-	-	01	0.63	-	-	02	0.22	05	7.22
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.42	01	1.05	08	2.69	15	11.16
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.71	-	-	02	0.31	05	8.91
	योग:	02	4.41	09	13.41	05	12.03	13	41.44	03	4.91	16	3.83	48	80.03

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 79)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
नगर परिषद चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
राजस्व	-	-	02	0.40	02	0.40
गृह रक्षा	-	-	03	25.42	03	25.42
आयोजना निदेशक	-	-	03	1.11	03	1.11
स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	05	7.22	05	7.22
लोक निर्माण	01	0.21	14	10.95	15	11.16
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग:	08	8.08	40	71.95	48	80.03

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।